

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेडवा

अप्रार्थी राजेश्वर का बनाव श्री देवा विप्रार्थी
सरकार जरिचे पटवारी का 115/117 वल्द देवा
हल्का का 115/117 निवासी बा 115/117 जाति मध्यम

राजस्व मुकदमा नं: 06/19 निर्णय दिनांक: 14/10/19
अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का बा 115/117 की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी ने सरकारी भूमि मौजा बा 115/117 के ख.न. 243/112 में रकबा 3.00 बीघा किस्म गन्धारी पर संवत् 2016 खरीफ मे काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी को राज 0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी से तामिल हो चुका है अप्रार्थी उपस्थिति/अनुपस्थिति।

अप्रार्थी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अतः अप्रार्थी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जव्त सरकार किया जाकर अप्रार्थी पर बतौर लगाया शस्ति के भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.18 का 50 गुणा रूपये 9 भक्षरे नो रूपये आरोपित किये जाते हैं भू.अ. निरीक्षक हल्का तो आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जव्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को जायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन मे पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतु पटवारी हल्का वं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।

त्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10/10/19 को सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार सेडवा